Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध स्मरण–पत्र–6

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में)।

यादि कंमाक टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 3020
दिनांक 29-12-15

विषयः–पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्ध घुमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति आवेदन पत्र वर्ष 2015–16 से आन लाईन (On Line) अपलोड़ करने हेतु मार्गदर्शन बारे ।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कंमाक टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/1766–67, 2156–57, 2233–34 तथा 2267–68 दिनांक 16.10.2015, 2.12.2015, 9.12.2015, E-mail 15.12.2015, 17.12.2015 तथा 21.12.2015 के सन्दर्भ में।

आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा भेजी गई हिदायतों के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्ध घुमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति आवेदन पत्र वर्ष 2015–16 से आन लाईन (On Line) अपलोड़ करने के लिए प्रत्येक संस्थान का मुखिया उक्त विभाग द्वारा दर्शाई गई वेबसाईट (http://www.haryanawelfare schemes.org/login.aspx) पर जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करके शीघ्र अपना व अपने संस्थान का डाटा भरकर अपने संस्थान को रजिस्ट्रड करवाएं।

- सभी संस्थान उक्त विभाग की वैबसाईट पर संस्थान पंजीकृत करवाते हुए अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 से पूर्व ऑन लाईन अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी संस्थान उक्त विभाग की वैबसाईट (http://www.haryanawelfare schemes.org/login.aspx) पर संस्थान तुरन्त पंजीकृत करवाते हुए अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं (उक्त विभाग द्वारा भेजी गई हिदायतों अनुसार प्रत्येक व्यवसाय में 40 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को) को लाभ देने हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 से पूर्व आन लाईन अप लोड करवाना सुनिश्चित करेंगें।

आन लाईन किये गए छात्रवृति आवेदन पत्र के प्रिन्ट की प्रति पूर्ण दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे। उक्त आदेशों की दृढता से पालना करें।

नोटः– यदि कोई अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्ध घुमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृति से वंचित रह जाता है तो उस संस्थान का मुखिया स्वंय जिम्मेवार होगा।

29/12/15

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृष्ठांकन क0 टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/3001 दिनांक 29-12-15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा उनके पत्र कमांक DNS/2015/21189-93, Dated: 9-10-2015 के संदर्भ में।
2. सहायक निदेशक (योजना)।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–4)। अनुरोध है कि प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाएं।
4. नोडल अधिकारी, वैबसाईट। विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

29/12/15

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग.